रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082024-256013
CG-DL-E-02082024-256013

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 2, 2024/ श्रावण 11, 1946
No. 434] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 2, 2024/ SHRAVANA 11, 1946

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 473(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना में सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना सहायक भर्ती नियम, 2024 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि :** पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्या**वृत्ति:**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक।	20* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400/- रु.)	चयन पद।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विधा में बैचलर डिग्री। टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
नहीं।	सीधे भर्ती और प्रोन्नति के लिए दो वर्ष। **टिप्पण :-** सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को परीवीक्षा पूर्ण करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण, सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित होगा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किया गया हो।	75 % प्रोन्नति द्वारा। 25 % सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100/रु.) में संबंधित क्षेत्र में उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथाविनिश्चित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अप्ने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
1. विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान - **अध्यक्ष;** 2. अवर सचिव, राजभाषा विभाग - **सदस्य;** 3. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान – **सदस्य।** **2. विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (1) निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान - **अध्यक्ष;** (2) अवर सचिव, राजभाषा विभाग - **सदस्य;** (3) प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान - **सदस्य ।**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा.सं. 14034/09/2021-रा.भा.(प्रशि.)]

अनिल कुमार, उप सचिव (प्रशि.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2024.

G.S.R..473(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.-(1)** These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Assistant Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**-The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant.	20*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400).	Selection Post.	Not exceeding thirty Years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) **Note.**-The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Mode of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Qualification: Bachelors degree in any discipline from a recognised University or Institute. **Note.**- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission / Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.	No.	Two years for direct recruitment and promotion. Note.- Direct recruits would required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the Competent Authority, for completion of probation.	Seventy five per cent by promotion Twenty five per cent by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Upper division clerk of the respective Region in level-4 (Rs. 25,500-81,100) in pay matrix with ten years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant field as decided by the Department. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	1.Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (i) Director, Central Hindi Training Institute - (Chairman); (ii) Under Secretary, Department of Official Language - Member; (iii) Administrative Officer, Central Hindi Training Institute - Member. 2. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Director, Central Hindi Training Institute - (Chairman); (ii) Under Secretary, Department of Official Language - Member; (iii) Administrative Officer, Central Hindi Training Institute - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No.14034/09/2021-OL (Trg.)]

ANIL KUMAR, Dy. Secy. (TRG.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA